

2025/141

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”

(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खैराबाद की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 258, 411, 412 में नाथू पुत्र नन्द किशोर का नाम नाथू पुत्र नन्द किशोर है। जबकि उक्त खाते दस्तावेज में नाथू नन्द किशोर पुत्र नन्द किशोर है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 19/04/2025

प्रार्थी नाथू नन्द किशोर शर्मा

(.....)

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खैराबाद के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 258, 411, 412 में प्रार्थी का नाम नाथू पुत्र नन्द किशोर दर्ज है। जबकि मुताबिक सलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम नाथू उर्फ नन्द किशोर है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. खैराबाद

23/04/2025
पटवारी दिनेश कुमार शर्मा
पटवार मण्डल, खैराबाद
तहसील-हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी खैराबाद व भू.अ.नि. खैराबाद एवं प्रार्थी द्वारा सलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम खैराबाद की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 258, 411, 412 में प्रार्थी का नाम नाथू के बजाय नाथू उर्फ नन्द किशोर किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम खैराबाद जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या 258, 411, 412 में दर्ज प्रार्थी का नाम नाथू के स्थान पर नाथू उर्फ नन्द किशोर संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा